


* योजना की सी.सी. में विनियम 20-4-2002 को अनुमति दी जायेगी।
 * 30 फीट C-59, C-40, C-41, C-48, C-49, C-67, C-58 व C-59 को H.T. LINE से उपरान्त छोटी हो जायेगी अनुमति नहीं दी जायेगी।
 * 30 फीट C-3 को भी ऊपर जाया व 30 फीट 0.3 को सी.सी. में छोटी हो जायेगी अनुमति नहीं दी जायेगी।
 * अनुमति नहीं दी जायेगी।

Mogul
 (AT 822)



भारत सरकार योजना 2011 के अनुसार श.अनुमति

अनुमति की प्रतीक निम्नलिखित हैं:

1. पूर्ण आवासीय क्षेत्र	B	अनुमति	4
2. मिश्र आवासीय क्षेत्र	CM	5	-
3. रिक्त भूखण्ड	V	1	-
कुल भूखण्ड	71	4	4

क्षेत्र के अनुसूचित जातों का अनुसूचित श.अनुमति विवरण

क्र.सं.	श.अनुमति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	वर्गमीटर
1.	आवासीय	15135.94	6636
2.	वाणिज्यिक	102.51	692
3.	रिक्त	6586.18	3322
4.	कुल	13824.63	10000

योजना की सी.सी. में नए नए अनुमति क्षेत्रों को बनाया गया है जो कि उपरोक्त श.अनुमति क्षेत्रों में शामिल है।
 * अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री.डी.सी./श्री.टी.सी. की वरिष्ठ योजना
 की अनुमति है योजना में परिवर्तन नहीं की जायेगी।
 (दिनांक 20/11/2008)

NAME OF PROJECT: QUADROVAL BHAWAN B.L.S.S.D.
 NAME OF SCHEME: 'MUKTIKALA C'
 ZONE: B-2
 SCALE: 1:500
 DRG. NO. SECTION 26
 52

JAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAPUR